

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना निजामाबाद

नाबालिक बच्ची से दुर्घम करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.08.2020 को निजामाबाद थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा खुद पुत्री उम्र करीब 05 वर्ष के खेलते कूदते समय बिनोद यादव पुत्र सोहित यादव ग्राम सरोयपोही थाना निजामाबाद के घर में चली जाना व विनोद यादव उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दुर्घम करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/20 धारा 376 AB भादवि व 5/6 पास्को एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराना ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये गये आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान मय हमराहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त विनोद यादव पुत्र सोहित यादव सा0 सरायपोही थाना निजामाबाद आजमगढ़ कही भागने के फिराक में रानी की सराय बाईपास पर किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है अगर पकड़ा नहीं गया तो हमेशा के लिये फरार हो सकता है , मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के रानी की सराय बाईपास पर पहुंचे की मुखबिर खास द्वारा बाईपास पर खड़े एक व्यक्ति की ओर इशार करके हट गया मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति जैसे ही हमलोग पहुंचे तो खड़ा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसको तत्काल मौके पर ही समय करीब 11.00 पर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम विनोद यादव पुत्र सोहित यादव सा0 सरायपोही थाना निजामाबाद आमजगढ़ बताया चूकि मुकदमा उपरोक्त में विनोद यादव उपरोक्त नामजद अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 148/20 धारा 376AB भादवि व 5/6 पास्को एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद यादव पुत्र सोहित यादव सा0 सरायपोही थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री अनवर अली खान मय हमराहीयान थाना निजामाबाद , आमजगढ़

थाना-निजामाबाद

अपहरण कर दुर्घम करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.08.2020 को निजामाबाद थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी की मेरी बहन जो खेत के तरफ गयी थी को मनोज सोनकर पुत्र नकछेद सोनकर सा0 जमीनबारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ व महेन्द्र सोनकर पुत्र अज्ञात द्वारा बहला फुसालकर भगा ले गये। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/20 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु आदेशित किये गये आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान मय हमराहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता हेतु उसके मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि दि0 23.08.2020 को मुकदमा वादी द्वारा उपस्थित थाना आकर प्रकट किया गया कि मेरी बहन घर पर आ गयी है जिसको म0का0 के अभिरक्षा में लेकर थाने आये जिससे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उसने राहूल सोनकर पुत्र नकछेद ग्राम जमीनबारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने की बात बतायी जिस पर मुकदमा उपरोक्त में पूर्व से नामजद दोनों अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी तथा धारा 363,366 भादवि का विलोपन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के बयान पर धारा 376 , 506 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्त राहूल सोनकर उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया । प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त राहूल सोनकर उपरोक्त कही भागने के फिराक में सेन्टरवा तिराहे पर किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है, मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के सेन्टरवा तिराहे पर पहुंचे की मुखबिर खास द्वारा सेन्टरवा तिराहे पर खड़े एक व्यक्ति की ओर इशार करके हट गया , मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास जैसे ही हमलोग पहुंचे तो खड़ा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसको तत्काल मौके पर ही समय करीब 12.20 पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राहूल सोनकर पुत्र नकछेद ग्राम जमीनबारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया चूकि मुकदमा उपरोक्त में विनोद यादव उपरोक्त प्रकाश में आये अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 147/20 धारा 376,506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहूल सोनकर पुत्र नकछेद ग्राम जमीनबारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनवर अली खान मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना-निजामाबाद

एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अबैध असलहा रखने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि भदुली नदी के पुल पर एक व्यक्ति अबैध असलहा व कारतूस के साथ बैठा है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुंच कर पुलिया पर बैठे व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम कल्लू पुत्र केशर सा0 बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। जिसको समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कल्लू पुत्र केशर सा0 बदरका थाना कोतवाली, आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 149/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 मोतीलाल पटेल चौकी प्रभारी रसीदगंज मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़